



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून-248011
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011
Telephone No.- 01352698371



File No. 237 /5(5)/SCF/Store/FP/2022-23 (part file)

Date: 22.05.2023

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि इस संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून पर स्थिति आम व कुमक्वाट नींबू के फलों के पेड़ों की खुली नीलामी (Open Auction) दिनांक 05-06-2023 को प्रातः 11-00 बजे कार्यालय, अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून पर की जायेगी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	फल का नाम व स्थिति	प्रजाति का नाम	पेड़ों की संख्या	नीलामी की अवधि	नीलामी में भाग लेने हेतु पंजीकरण राशि का विवरण
1.	आम (फोरेज पार्क)	दसहरी व बोम्बे ग्रीन	11	30 सितम्बर, 2023	₹0 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)
2.	कुमक्वाट नींबू (आंबला मदर ब्लॉक, पौध विज्ञान विभाग)	कुमक्वाट	22	31 अगस्त, 2023	₹0 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)

नीलामी की नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से हैं :-

- उपर्युक्त फलों के बगीचों की फसल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 05-06-2023 को प्रातः 11-00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :-
 - पंजीकरण राशि नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun के पक्ष में देय हो।
 - बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपी।
 - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपी
 - बोलीदाता के पेन कार्ड की प्रतिलिपी, यदि है।
 - बोलीदाता के जी0एसी0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपी, यदि है।
- अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी टेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
- नीलामी स्थल पर जिन व्यक्तियों द्वारा अपना पंजीकरण कराया जायेगा, केवल उन्हीं व्यक्तियों को टोकन जारी करते हुए नीलामी समिति के समक्ष उपस्थित रहते हुए बोली लगाने का अधिकार होगा।
- बगीचों की नीलामी टेके का आधार अधिकतम बोली दर होगी।
- बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति अपनी रिपोर्ट उन्हे प्रस्तुत करेगी तथा अधिकतम बोलीदाता के प्रस्ताव पर संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय के निर्णय के उपरांत ही उनकी बोली स्वीकार की जायेगी एवं इसके पश्चात् ही उन्हे नीलामी आदेश जारी किये जायेंगे। अधिकतम बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।
- सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के अतिरिक्त कुल नीलामी राशि का 10 प्रतिशत राशि नीलामी टेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में नीलामी के तुरंत पश्चात् जमा करानी होगी। यह राशि नीलामी

1. जे. प्रदीप
22/05/2023

ढेका अवधि 60 दिवस पूर्ण होने के बाद आवंटित किये गये ढेके का संतोशप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी । ढेकेदार द्वारा बगीचे को किसी प्रकार के नुकसान पहुँचाने अथवा ढेके का संचालन संतोशप्रद ना करने पर यह राशि जब्त कर ली जायेगी तथा शेष नुकसान, यदि कोई है को उनसे अलग से वसूलने की कार्यवाही की जायेगी ।

7. सफल बोलीदाता को नीलामी के तुरन्त पश्चात् कुल नीलामी राशि का 25% राशि संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई अथवा संस्थान मुख्यालय में उपलब्ध POS मशीन द्वारा अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी ।
8. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी की 25% राशि उपरोक्तानुसार ना जमा कराये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।
9. सफल बोलीदाता नीलामी राशि का शेष 75% स्वीकृति आदेश जारी होने के सात कार्यदिवस के भीतर अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई तथा संस्थान मुख्यालय में POS मशीन अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun के पक्ष में देय हो जमा कराना होगा ।
10. निश्चित समय अवधि में उपरोक्त 75% राशि जमा नहीं करायी जाने तथा अनुबंध पत्र प्रस्तुत ना किये जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता के पक्ष में छोड़ी गयी नीलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा करायी गयी पंजीकरण राशि तथा नीलामी की 25% जमा करायी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा संस्थान संबंधित ब्लॉक/खण्ड के पेड़ों के फलों की पुनः नीलामी किये जाने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
11. बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी किसी भी राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा ।
12. सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के संदर्भ में जमा करायी जाने वाली संपूर्ण राशि की व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा की जानी होगी । किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते से उक्त राशि का भुगतान/जमा कराये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि नीलामी ढेका अवधि के दौरान किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि ढेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है तब ऐसी स्थिति में ढेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ढेके से सम्बन्धित सभी राशि को जब्त कर लिया जायेगा जिसके लिए ढेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा । इसके अतिरिक्त ढेकेदार को ब्लेकलिस्ट भी कर दिया जायेगा ।
13. सफल बोलीदाता के पक्ष में नीलाम किये गये बगीचों की देख-रेख, सुरक्षा, फल तोड़ने, तोड़े हुए फलों को फार्म प्रक्षेत्र से बाहर ले जाने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ढेकेदार तथा उसके कर्मचारियों की होगी । संस्थान इस सन्दर्भ में ढेकेदार को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा । फलों के किसी भी प्रकार नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी ।
14. सफल बोलीदाता द्वारा अपने कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों द्वारा यदि संस्थान के किसी भवन, पेड व अन्य सम्पति को हानि पहुंचायी जाती है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा समिति का गठन करते हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा जिसकी भरपाई ढेकेदार को करनी होगी ।
15. नीलाम किये गये फलों के बगीचे की फसल तथा पेड़ों की देख-रेख, सुरक्षा इत्यादि का कार्य संबंधित ढेकेदार का होने के कारण यदि उक्त बगीचों में किसी प्रकार की पेड़ काटने, आगजनी इत्यादि की घटना घटित होती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित ढेकेदार को तुरंत प्रभाव से घटना पर काबू पाये जाने की उचित कार्यवाही पूर्ण करते हुए घटना की सूचना प्रक्षेत्र प्रभारी/अधीक्षक को तत्काल दूरभाश/मोबाईल/लिखित में देनी होगी ।
16. सफल बोलीदाता को नीलामी ढेके का संचालन, फलों की तुड़ाई इत्यादि का कार्य स्वयं अपनी देख-रेख में ही पूर्ण करना होगा । सम्बन्धित ढेकेदार आवंटित किये गये ढेके में किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर, नॉमिनी घोशित नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नीलाम किये गये ढेके का कोई मुख्तारनामा, विक्रयनामा, प्रतिनिधि की नियुक्ति तथा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को ढेका स्थानांतरित इत्यादि की कार्यवाही नहीं करेगा । यदि ढेकेदार का इस प्रकार का कृत्य किसी भी समय संस्थान के संज्ञान में आता है तब यह ढेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए ढेके से सम्बन्धित ढेकेदार द्वारा जमा करायी हुयी सम्पूर्ण

22/05/2023

राशि जब कर ली जायेगी तथा ठेकेदार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

- 17 फल बगीचों में अनुसंधान से सम्बन्धित यदि कोई सैम्पल लिया जाना है तथा अन्य कार्य किये जाने हैं तो यह कार्य संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की देख-रेख में पूर्ण किये जायेंगे जिसके लिए ठेकेदार को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
- 18 ठेका संचालन में ठेकेदार द्वारा लगाये गये अपने कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की जान-माल की हानि होती है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। संस्थान इस प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार के हर्जाने के लिए जिम्मेदार होगा। अतः श्रमिक से संबंधित सभी नियमों की पालना व क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी।
- 19 ठेका संचालन में संस्थान किसी भी प्रकार से कोई श्रमिक उपलब्ध नहीं करायेगा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई औजार, लाठी, टॉर्च आदि की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- 20 ठेकेदार द्वारा बगीचों की पहरेदारी, निगरानी व फल आदि तोड़ने हेतु कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का पूर्ण विवरण तथा आधार कार्ड की प्रतिलिपी सत्यापित करते हुए फार्म प्रबन्धन अधिकारी (OIC Farm) को जमा करानी होगी, उक्त सूचना के अभाव में किसी भी ठेकेदार श्रमिक को फार्म में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- 21 ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी जैसे कि पुलिस द्वारा सत्यापन अथवा अन्य नियमों या कोई भी हर्जाने/इत्यादि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 22 यदि ठेकेदार बगीचों के नजदीक रात को रखवाली के लिए अथवा फलों को तोड़कर रखने के लिए अस्थायी टेटनुमा झोपडी बनाना चाहे तो प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
- 23 यदि ठेकेदार झोपडी में अथवा अपने दैनिक कार्य हेतु अस्थायी तौर पर विद्युत कनेक्शन लेना चाहे तो उसे प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र को लिखित सूचित कर मीटर रीडिंग के आधार पर निर्धारित विद्युत मूल्य अनुसार विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।
- 24 ठेके से संबंधित किसी भी मामले के लिए ठेकेदार केवल प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र अथवा प्रक्षेत्र अधीक्षक के संपर्क करेगा।
- 25 जहाँ भी किसी भी ब्लॉक/लोकेशन में दो अथवा दो से अधिक फलों की फसलें होंगी उसकी पूरी सुरक्षा/देख-देख की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों की होगी। ऐसी स्थिति में ठेकेदारों के मध्य किसी भी विवाद की स्थिति में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 26 ठेकेदार फलों के बगीचे से प्राप्त फसल की उपज संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार उपज के आंकलन हेतु प्रभारी अधिकारी, प्रक्षेत्र को देंगे। सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप दस्तावेज संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- 27 यदि उक्त ठेके के सन्दर्भ में ठेकेदार व संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा गठित समिति के माध्यम से संबंधित ठेकेदार के साथ बातचीत कर किया जायेगा। यदि आपसी बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तब ऐसी स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा।
- 28 उपरोक्त फलों की फसल की स्थिति का आंकलन बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व करते हुए तथा पूर्ण रूप से जांचकर ही अपनी बोली प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाता है। यदि मौसम अथवा अन्य किसी कारणों से पेड़ों पर कम फल आता है अथवा फल नहीं आता है अथवा किसी अन्य कारण से फलों का नुकसान होता है इत्यादि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की वार्ता/कथन/शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- 29 इच्छुक बोलीदाता इस नीलामी नोटिस के प्रकाशन के तुरन्त बाद से अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई में उपर्युक्त फलों के बगीचों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 4:00 बजे के बीच नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् प्रक्षेत्र के अधीक्षक की अनुमति/निगरानी में कर सकते हैं।


जि. प्रो. देवम
22/05/2010

30. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त बोलियों को आशिक अथवा पूर्ण रूप से खिन्न कर देने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।

31. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की बोलियाँ अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सुझाव अथवा नहीं की जायेगी।

32. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहात न्यायालय होगा। उपर्युक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे। वह किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं।

अतः नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त निम्न सूची के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।


प्रभारी प्रमुख अधिकारी
(अनुसंधान प्रभाग, नारायणपुर)